

उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-७७/2023/2623/26-3-2023-C.N.- 1640159
लखनऊ:दिनांक २७ सितम्बर, 2023

कार्यालय जाप

प्रदेश में पूर्वदशम कक्षाओं में अनुसूचित जाति व अन्य छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-49/2016/आरO-910/26-3-2016-4(31)/2015 दिनांक 16.03.2016 द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना नियमावली जारी की गयी थी। अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत भारत सरकार की गाईडलाइन में अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु समाहित किया गया है, जिसके क्रम में प्रश्नगत योजनान्तर्गत इस योजना/अन्य कतिपय संशोधनों को सम्मिलित करते हुए नियमावली संशोधित की गयी है। निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-2380/स0क0/शिक्षा-अ/3/386-1/2023-24 दिनांक 09.08.2023 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निम्नानुसार उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व अन्य पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना नियमावली (प्रथम संशोधन)-2023 निर्गत की जाती है:-

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व अन्य हेतु पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली-2023

क्र.सं.	शीर्षक	नियम
1-	नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व अन्य हेतु पूर्वदशम छात्रवृत्ति नियमावली(प्रथम संशोधन)-2023 कहलायेगी।
2-	उद्देश्य	(i) इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न मान्यता प्राप्त वैध U-DISE (Unified District Information System For Education) Code रखने वाले शिक्षण संस्थानों में कक्षा 9 एवं 10 में शिक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति के गरीब माता-पिता/अभिभावकों के आश्रित छात्र/छात्राओं तथा अस्वच्छ पेशे में लगे माता-पिता/अभिभावक के कक्षा-9 व 10 में अध्ययनरत बच्चों को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करना है। (ii) (क) कम्पोनेन्ट 1- कक्षा-9 व 10 में पूर्ण अवधि आधार पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र। (ख) कम्पोनेन्ट 2- अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के कक्षा-9 व 10 में पूर्ण अवधि आधार पर अध्ययन कर रहे आश्रित छात्र। (ग) अस्वच्छ पेशे का प्रकार-

रामेश्वर

- (1) Persons who are Manual Scavengers as defined under Section 2(l) (g) of Manual Scavengers Act 2013
- (2) Tanner & Flayers;
- (3) Waste pickers and
- (4) Persons engaged in hazardous cleaning as defined in Section 2 (l) (d) of Manual Scavengers Act 2013

(iii) छात्रों द्वारा अपने माता-पिता/अभिभावक का अस्वच्छ पेशे में कार्य करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत हो।

3- प्रसार/ विस्तार

इस नियमावली से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले वे छात्र/छात्राएं आच्छादित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी/मूल निवासी हों

4- प्रारम्भ होने की तिथि

इस नियमावली के प्राविधान माह अप्रैल 2023 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षण सत्र से लागू होंगे।

5- परिभाषा

(i) केन्द्र सरकार

”केन्द्र सरकार” का तात्पर्य भारत सरकार से है।

(ii) राज्य सरकार

”राज्य सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(iii) निदेशालय

”निदेशालय” का तात्पर्य समाज कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश से है।

(iv) निदेशक

”निदेशक” का तात्पर्य निदेशक समाज कल्याण निदेशालय से है।

(v) अभ्यर्थी

”अभ्यर्थी” का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा केन्द्र अथवा 30प्र० राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वैध U-DISE Code रखने वाले शिक्षण संस्था में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थी, जो कक्षा 9 या 10 में तथा अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के आश्रित अभ्यर्थी, जो कक्षा-9 व 10 में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो।

(vi) शिक्षण संस्था

”शिक्षण संस्था” का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त वैध U-DISE Code रखने वाले संस्थान से है।

(vii) अनुसूचित जाति

”अनुसूचित जाति” का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद-341 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जातियों की अधिसूचना में अंकित जातियों से है।

(viii) शैक्षणिक सत्र

शैक्षणिक सत्र का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक के शिक्षण सत्र से है।

(ix) छात्रवृत्ति का मूल्य

(i) कम्पोनेन्ट-1 के अन्तर्गत कक्षा 9 व 10 में निम्नलिखित वार्षिक छात्रवृत्ति देय होगी:-

(क) ₹0 3500/- वार्षिक (टिवा छात्र)

(ख) ₹0 7000/- वार्षिक (आवासीय छात्र)

(ii) कम्पोनेन्ट-2 के अन्तर्गत कक्षा-9 व 10 में निम्नलिखित वार्षिक छात्रवृति देय होगी:-

- (क) ₹0 3500/- वार्षिक (दिवा छात्र)
- (ख) ₹0 8000/- वार्षिक (आवासीय छात्र)

(iii) प्रत्येक पात्र दिव्यांग छात्र को 10 प्रतिशत समेकित शैक्षणिक भत्ते का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा।

(x) अभिलेखों का एकत्रीकरण एवं संरक्षीकरण

किसी भी जनपद में संचालित राजकीय संस्थानों, शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों, तथा निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के अभिलेखों का एकत्रीकरण एवं संरक्षीकरण जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा व मण्डल स्तर पर उपनिदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।

6- अर्हता

छात्रवृति हेतु अनुसूचित जाति अभ्यर्थी व अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के आश्रित अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन पात्र होंगे।

(i) ३०प्र० राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति अभ्यर्थी व अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के आश्रित अभ्यर्थी, जो केन्द्र अथवा ३०प्र० राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वैध U-DISE Code रखने वाले विद्यालय/ शिक्षण संस्थान में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हों।

(ii) (क) कम्पोनेन्ट-1 से सम्बन्धित अभ्यर्थी, जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख से अधिक न हो।

(ख) कम्पोनेन्ट-2 के अन्तर्गत सभी आय वर्ग के माता-पिता/अभिभावक के अभ्यर्थी छात्रवृति हेतु पात्र होंगे।

(iii) एक ही माता-पिता अथवा संरक्षक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(iv) इस योजना के अधीन छात्रवृति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृति या वजीफा नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृति या वजीफा प्रदान किया गया हो तो छात्र दोनों में से किसी एक के लिए जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और दिये गये विकल्प के बारे में सूचना संस्था प्रमुख के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी को देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस तारीख से, जिससे वह दूसरी छात्रवृति या वजीफा स्वीकार करता/ करती है, इस योजना के अधीन छात्रवृति का भुगतान नहीं किया जायेगा तथापि छात्र राज्य सरकार से या किसी अन्य स्रोत से पुस्तकें, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गयी छात्रवृति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है।

(v) जब तक माता पिता में से कोई एक जीवित है, तब तक माता-पिता/अभिभावक जैसी भी स्थिति हो, की सभी स्रोतों से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा, न कि अन्य सदस्यों की आय को, चाहे वह कमाने वाले ही क्यों न हों। आय घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस मामले में जब माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उस संरक्षक की आय को लेना होगा, जो विद्यार्थी की पढ़ाई में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र जिनके माता-पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय-सीमा में आ जाती है तो ऐसी दुःखद घटना होने वाले महीने से वह छात्रवृति का पात्र बन जायेगा, बशर्ते वह छात्रवृति की अन्य शर्तें पूरी करता हो, ऐसे छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पर अनुकम्पा के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात भी विचार किया जा सकता है।

(vi) ऐसे छात्र/छात्राएं, जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, जिन्हें किसी संस्था या संभान्त व्यक्ति द्वारा अपनी संरक्षिता में शिक्षा प्रदान करने हेतु एडाप्ट कर लिया गया है, वे योजनान्तर्गत पात्र होंगे तथा उनके संदर्भ में संस्था, प्रबन्धन या संभान्त व्यक्ति की आय उनकी पात्रता निर्धारण के लिये आधार नहीं समझी जायेगी।

(vii) 01 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु 12 वर्ष से कम तथा 20 वर्ष से अधिक होने पर अभ्यर्थी छात्रवृत्ति हेतु अपात्र होगा।

7- मूल निवास का अनुमन्य साक्ष्य

तहसील स्तर से जारी आय एवं जाति प्रमाण पत्र में अंकित निवास विवरण के आधार पर छात्र को छात्रवृत्ति अनुमन्य की जाये।

8- माता-पिता/अभिभावकों की आय के संबंध में अनुमन्य साक्ष्य-

माता-पिता अथवा अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य अनुमन्य होंगे:-

(i) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, की समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।

(ii) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, द्वारा लिये जाने वाले मकान किराये भत्ते को "आय" में शामिल नहीं किया जायेगा, यदि इसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट की अनुमति दी गयी हो।

(iii) आय प्रमाण-पत्र केवल एक बार अर्थात् कक्षा 9 में दाखिले के समय ही लिया जायेगा अर्थात् कक्षा 10 में पुनः आय-प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु यदि कक्षा 10 में किसी अन्य विद्यालय में पूर्व विद्यालय से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के उपरांत नया प्रवेश लिया जाता है, तो पुनः आय प्रमाण-पत्र देना होगा।

9- मास्टर डाटाबेस व शिक्षण संस्थाओं का कोर्स मास्टर में पंजीकरण-

(i) प्रदेश की समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं अन्य मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को स्वयं विद्यालय से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा-विद्यालय का नाम, माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त करने की तिथि और वैधता सीमा, वर्गवार सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या तथा विद्यालय का U-DISE Code आदि निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन भरकर "मास्टर डाटाबेस" में प्रत्येक वर्ष जारी समय सारिए अवधि में सम्मिलित होना होगा। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। मास्टर डाटाबेस में आनलाइन शुद्ध डाटा भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षण संस्थान का होगा।

(ii) उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनकी मान्यता एवं सम्बद्धता 31 मार्च तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 31 मार्च के पश्चात मान्यता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थानों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होना होगा तथा उनके छात्रों को आगामी वित्तीय वर्ष के शैक्षिक सत्र से ही छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी।

(iii) मास्टर डाटाबेस में प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थानों एवं उसमें वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) स्तर से उपलब्ध कराये गये साप्टवेयर पर स्वयं आनलाइन निर्धारित तिथि तक भरा जायेगा। मास्टर डाटाबेस में आनलाइन शुद्ध डाटा भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षण संस्थान का होगा।

(iv) मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित जनपद के अन्दर स्थित विद्यालयों, उनमें वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या आदि विवरण का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जायेगा तथा तदुपरांत अपने डिजीटल सिग्नेचर से मास्टर बेस में विद्यालय के डाटा को लॉक किया जायेगा।

10- छात्र को छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थाओं की वरीयता क्रम का निर्धारण-

(i) छात्रवृत्ति हेतु अह छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा।

(ii) सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयों में अध्ययनरत कम्पोनेन्ट-1 व 2 से आच्छादित छात्रों को नवीनीकरण एवं तदोपरान्त नये छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि निम्नांकित वरीयता क्रम में बजट की

उपलब्धता की सीमा तक पी0एफ0एम0एस0 के तहत सिंगल नोडल एकाउन्ट से आधार पेमेन्ट ब्रिज के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि तथा भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि सीधे छात्र के आधार सीडेड बचत बैंक खाते में अन्तरित करके की जायेगी।

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/ निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।

(ख) शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(ग) निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(iii) उपरोक्त वरीयता क्रम के अन्दर पात्र छात्र/ छात्राओं की आन्तरिक वरीयता निम्नलिखित क्रम में तैयार की जायेगी:-

1- छात्रों के द्वारा विगत वर्ष वार्षिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तिशत के आधार पर अवरोही क्रम में राज्य को एक डिक्टॉरी मानते हुए वरियता सूची तैयार की जायेगी।

2- समान प्राप्तिशत होने पर छात्र/ छात्राओं की आयु को वरीयता दी जायेगी जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्राओं को सबसे पहले दिया जायेगा। तत्पश्चात छात्र/छात्र की आयु के घटते हुए क्रम (अवरोही क्रम) में वितरण किया जायेगा।

3- इसके पश्चात भी यदि कई अभ्यर्थी की प्रासांक प्रतिशत एवं आयु एक समान होती है तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक क्रम में (A to Z) छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा।

4- छात्र/छात्राओं की प्राप्तिक प्रतिशत, आयु एवं अल्फाबेटिक क्रम एक समान होने की दशा में प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार पर छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/ छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से लिया जायेगा।

(iv) (क) कम्पोनेन्ट-1 के अन्तर्गत सर्वप्रथम कक्षा-9 में वितरित की गयी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों का कक्षा 10 में निर्धारित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार छात्रवृत्ति नवीनीकृत की जायेगी। नवीनीकरण के पश्चात अवशेष धनराशि ही कक्षा 9 के नये अभ्यर्थियों को उपरोक्त वरीयता क्रम में वितरित की जायेगी।

(ख) कम्पोनेन्ट-2 के अन्तर्गत कक्षा-9 में नवीन आवेदन पत्र व उसके उपरांत कक्षा-10 तक नवीनीकरण का आवेदन किया जायेगा।

(v) प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की देनदारियां उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त मानी जायेंगी एवं अग्रेणीत नहीं होंगी।

(vi) भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र/छात्राओं को इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा।

11-

छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया-

(i) इस योजना में अर्ह छात्रों को राज्य सरकार द्वारा बजट सीमा के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि नियमानुसार छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड एवं मैप्प बचत बैंक खाते में राज्य मुख्यालय स्थित बैंक/कोषागार से सिंगल नोडल एकाउन्ट (SNA) के तहत PFMS (Public Financial Management System) से निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जायेगा। छात्रवृत्ति की धनराशि आधार पैमेन्ट ब्रिज प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि तथा भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि सीधे छात्र के आधार सीडेड बचत बैंक खाते में अन्तरित करके की जायेगी।

(ii) कम्पोनेन्ट-1 या 2 से सम्बन्धित छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति हेतु नये पात्र छात्र/छात्राओं एवं नवीनीकरण के छात्रों को आनलाइन आवेदन करना होगा। विगत वर्ष में आनलाइन आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र में सम्पूर्ण विवरण भरने के स्थान पर छात्रवृत्ति हेतु केवल प्रवेश तिथि व कक्षा-9

का परीक्षाफल ही निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन अंकित कर फाइल प्रिन्ट लेना होगा। छात्र/छात्राओं को समस्त प्रविष्टियों आनलाइन सही-सही भरकर उसका प्रिन्टआउट लेकर समस्त आवश्यक अभिलेख तथा घोषणा पत्र के साथ शिक्षण संस्थान में निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा जिसकी पावती शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी। आवेदन में सही-सही सूचनाएं भरने का उत्तरदायित्व छात्र/संस्था का होगा।

(iii) अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का मिलान शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये शिक्षण संस्थान पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अर्ह पाये गये आवेदन-पत्रों की संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी।

1-संस्था के प्रधानाचार्य- अध्यक्ष

2-संस्था के वरिष्ठतम् प्राध्यापक- सदस्य

3-संस्था के वरिष्ठतम् अनुजाति के प्राध्यापक- सदस्य

अथवा

संस्था के वरिष्ठतम् अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक (अनुजाति का कोई भी प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में)

अथवा

उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामान्य श्रेणी का कोई प्राध्यापक (अनुजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी प्राध्यापक न होने की दशा में)

(iv) उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत छात्रों का विवरण आनलाइन सत्यापित करने का उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का ही होगा। छात्र द्वारा जमा समस्त संलग्नकों सहित आनलाइन फ़िडेड आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट को संस्थान द्वारा सत्यापन प्रमाण-पत्र सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी। जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण, गलत या अपूर्ण पाया जाता है, ऐसे छात्र/छात्राओं की संस्था द्वारा समुचित कारण दर्शाते हुए छात्रवृत्ति हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी एवं अपने स्तर से 'रिजेक्ट' कर दिया जायेगा।

(v) शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था की मान्यता, वैधता एवं वर्गवार अनुमन्य सीटों के सापेक्ष संस्था स्तर से अग्रसारित आवेदकों की संख्या आदि का परीक्षण कर आनलाइन सत्यापन एवं डिजीटल हस्ताक्षर से लॉक किया जायेगा।

(vi) तदुपरांत निदेशक, समाज कल्याण द्वारा निर्धारित तिथि तक आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों एवं आय प्रमाण-पत्र में अंकित धनराशि तथा आय प्रमाण-पत्र धारक के नाम आदि का मिलान बोर्ड आफ रेवन्यू उपरांत की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ के सहयोग से कराया जायेगा। इसी प्रकार आवेदक के जाति प्रमाण-पत्र में अंकित जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र में अंकित निवास तथा उनके धारक के नाम का भी मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से किया जायेगा। छात्र/छात्रा के बोर्ड के पंजीयन क्रमांक आदि का मिलान माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से किया जाएगा। समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा में से 'डुप्लीकेट डाटा' की छटनी कराकर तथा अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर परीक्षण कराकर शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा सम्बन्धित जनपदों की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) जनपद स्तर पर कम्पोनेन्ट-1 व 2 से आच्छादित छात्रों के छात्रवृत्ति की स्वीकृति हेतु निम्न समिति गठित की जाती है:-

- 1-जिलाधिकारी - अध्यक्ष
- 2-मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी - उपाध्यक्ष
- 3-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी -सदस्य
- 4-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी-तकनीकी सदस्य
- 5-जिला विद्यालय निरीक्षक -सदस्य
- 6-जिला समाज कल्याण अधिकारी -सदस्य सचिव

यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करेगी।

(viii) प्रत्येक छात्र के संबंध में आवेदन पत्र की प्रति संबंधित शिक्षण संस्था के कार्यालय में 05 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।

(ix) जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक से सत्यापित एवं अग्रसारित शिक्षण संस्थानों वाले छात्रों के डाटा की तथा निदेशक, समाज कल्याण, 30प्र० लखनऊ से परीक्षणोपरान्त प्राप्त छात्रों के विवरण की सूची हार्डकापी में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी-

1- जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षण संस्थानों के छात्रवृत्ति से संबंधित डाटा को अपने डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं अग्रसारित करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति के उपरान्त निदेशक, समाज कल्याण 30प्र० द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ के सहयोग से निर्धारित तिथि तक पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर के माध्यम से आधार सीडिंग स्टेटस/रिस्पांस प्राप्त किया जायेगा साथ ही साथ सम्बन्धित शिक्षा परिषदों एवं बोर्ड आफ रेवन्यू आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से मिलान एवं डुप्लीकेट डाटा की छटनी व परीक्षण कराया जायेगा। तदोपरान्त परीक्षण में संदेहास्पद पाये गये तथा पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर से रिजेक्ट किये गये डाटा को छात्र के बैंक नाम के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित कराया जायेगा तथा साथ ही पी0एफ0एम0एस0 से स्वीकृत डाटा को भी छात्र के बैंक नाम के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी/जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति उपरोक्त स्वीकृत डाटा में से 05 प्रतिशत डाटा की रेण्डम चैकिंग (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर से) विशेष टीम के माध्यम से कराकर जांच आख्या के अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। संदेहास्पद डाटा में से शुद्ध पाये गये डाटा को भी जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृत कराकर आनलाइन सत्यापित एवं डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किया जायेगा। पी0एफ0एम0एस0 से स्वीकृत डाटा में अन्य दूसरे कारणों से अपात्र या निरस्त न होने वाले छात्रों की सूची जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त कर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित एवं लॉक किया जायेगा।

2- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से अनुमोदन तथा निर्धारित प्रोफार्मा पर जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के उल्लिखित सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त कर उक्त प्रोफार्मा को छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड किये जाने तथा उक्त के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के अनुसार निदेशालय द्वारा एन0आई0सी0 (स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा विकसित आनलाइन साफ्टवेयर से मांग जनरेट करायी जायेगी।

3- इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति की धनराशि बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्र के आधार सीडेड/मैप्ड बचत बैंक खाते में सिंगल नोडल एकाउन्ट के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के तहत आधार पेमेन्ट ब्रिज प्रणाली के माध्यम से राज्य

सरकार द्वारा 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि तथा भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि सीधे छात्र के आधार सीडेड बचत बैंक खाते में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी योजना का होगा।

4- निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं योजना हेतु नोमिट नोडल अधिकारी को पासवर्ड एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका उपयोग करके बेनीफिशरी फाइल जनरेट की जायेगी। उक्त बेनीफिशरी फाइल को PFMS (Public Financial Management System) साफ्टवेयर पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपने PFMS कोड नम्बर द्वारा अपलोड कर सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरान्त एकल नोडल बैंक खाते में धनराशि PFMS प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरित की जायेगी। निदेशालय के नोडल अधिकारी (योजना)/वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ट्रांजेक्शन फाइल ई0पी0ए0 के माध्यम से आनलाइन बैंक को भेजकर धनराशि अन्तरण की कार्यवाही सीधे छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/मैप्ड बचत बैंक खातों में करायी जायेगी।

5- जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लॉक डाटा में किसी स्तर से बदलाव नहीं किया जायेगा। उक्तानुसार लॉक डाटा के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से इस नियमावली में वर्णित रीति से डाटा को प्रोसेस कराकर केवल मांग जनरेट की जायेगी। आनलाइन लॉक किये गये डाटा की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी की होगी क्योंकि इसी लॉक डाटा के आधार पर ही नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के बैंक खाते में धनराशि का अन्तरण किया जायेगा।

6- जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्र के विगत वर्ष के आवेदन-पत्र में अथवा उसके साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों में संशोधन का कोई प्रार्थना-पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व प्राप्त होता है, तो उसका अपने स्तर पर परीक्षण कर व जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की संस्तुति सहित संबंधित छात्रों की त्रुटियों को ठीक कराने हेतु 10 दिनों के अंदर निदेशक, समाज कल्याण से अनुरोध कर सकेंगे। छात्र त्रुटियों को संदेहास्पद डाटा सही करने की सम्यावधि में स्वयं ठीक कर सकेंगे।

7- जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर यदि किसी अपात्र अभ्यर्थी के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि का अन्तरण होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा विद्यालय की होगी।

(x) अभ्यर्थी को अनुमन्य छात्रवृत्ति की धनराशि छात्र के खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार/बैंक में खुले एकल नोडल बैंक खाता (Single Nodal Account) द्वारा PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से आधार पेमेन्ट ब्रिज सिस्टम के तहत राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि तथा भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि सीधे छात्र के आधार सीडेड बचत बैंक खाते में वित्त नियन्त्रक, आहरण वितरण अधिकारी तथा नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरित की जायेगी। छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/मैप्ड बचत बैंक खातों में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।

(xi) एन0आई0सी0 (राज्य इकाई) द्वारा वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी के उपयोग हेतु छात्रवृत्ति साफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे दोनों अधिकारियों को संयुक्त रूप से बेनीफिशरी फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल एवं कोषागार के सर्वर पर (छात्रवृत्ति/कोषागार/ पीएफएमएस सर्वर पर) डाटा को ट्रान्सफर करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(xii) उपरोक्त प्रयोजन हेतु जवाहर भवन, लखनऊ स्थित कोषागार को नोडल ट्रेजरी तथा भारतीय स्टेट बैंक जवाहर भवन, लखनऊ को नोडल बैंक नोमिट किया जाता है।

(xiii) वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कर बेनीफिशरी एवं

ट्रांजेक्शन फाइल जनरेट की जायेगी। उक्तानुसार जनरेटेड बेनीफिशरी फाइल को सर्वर पर अपलोड कराने, कोषागार में बिल तैयार कर प्रस्तुत करने, टोकन प्राप्त करने एवं टोकन छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर फीड कराने, भारतीय स्टेट बैंक जवाहर भवन, लखनऊ में खुले एकल नोडल बैंक खाता (Single Nodal Account) में अवितरित वापस प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा एवं तत्सम्बन्धी समस्त आवश्यक अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी का होगा।

(xiv) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई द्वारा धनराशि अन्तरण से सम्बन्धित विवरण को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर सम्बन्धित जनपद वितरण सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट अपने लॉगिन आईडी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से जनरेट कर सकेंगे।

12- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ के स्तर पर स्कूटनी के बिन्दु-

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ के माध्यम से निदेशक समाज कल्याण स्तर से जनपदों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के डाटा का परीक्षण (स्कूटनी) समय-समय पर निर्धारित बिन्दुओं पर कराया जायेगा, जिसमें आय प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जायेगा। छात्र/छात्राओं के विवरण में से राज्य स्तर पर डुप्लीकेट, सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा को अलग-अलग कर जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

1-छात्र/छात्राओं के आय प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र जारी करने का सत्यापन एवं उसमें अंकित विवरण यथा-आय की धनराशि, प्रमाण-पत्र धारक का नाम, जाति, निवास आदि राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जायेगा।

2-छात्र/छात्राओं के विवरण में से राज्य स्तर पर डुप्लीकेट, सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा को अलग-अलग कर जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

3-छात्र/छात्राओं के बोर्ड पंजीयन के क्रमांक का मिलान संबंधित शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा अथवा बोर्ड द्वारा आधिकारिक रूप से एन0आई0सी0 को उपलब्ध करायी गयी डाटा से कराया जायेगा।

13- भुगतान व्यवस्था-

(i) कम्पोनेन्ट-1 व 2 से आच्छादित छात्र/छात्राओं को रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र छात्रवृत्ति की वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन भरना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात् वेबसाइट लाक कर दी जायेगी जिसमें प्रविष्ट सम्भव नहीं होगी। दोनों कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत छात्रों/संस्था को पूर्व कक्षा का अंकपत्र स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना होगा।

(ii) निदेशालय के वित्त नियंत्रक द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ के सहयोग से निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक नियमावली में वर्णित वरीयता क्रम के अनुसार छात्रवृत्ति की धनराशि की मांग सृजित (जनरेट) करायी जायेगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से सृजित बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल में वित्त नियंत्रक या नोडल अधिकारी स्तर से कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट को निदेशालय स्तर से लॉक कर दी जायेगी।

(iii) PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से पात्र छात्र/ छात्राओं के आधार सीडेड/मैप्ड बचत बैंक खातों में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरण हेतु प्रेषित धनराशि का अन्तरण न होने की दशा में छात्रवृत्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक जवाहर भवन लखनऊ में खुले एकल बैंक खाता (SNA) में बैंकों से फेल्ड ट्रांजेक्शन/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को जमा किया जाएगा। ट्रांजेक्शन फेल्ड एवं अवितरित वापस धनराशि को विभाग द्वारा शासन की अनुमति के उपरांत पुनः उन्हीं छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/ मैप्ड बैंक खातों में अन्तरण की कार्यवाही की जाएगी। पुनः ट्रांजेक्शन फेल्ड होने पर अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को

शासन द्वारा नियोजित तिथि तक राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा किया जायेगा। बैंक से फैल्ड ट्रांजेक्शन/अधिकारित वापस पास धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा करने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी एवं नोडल अधिकारी का होगा। PFMS (Public Financial Management System)/बैंकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे खातों में अन्तरित न होने वाली धनराशि व सम्बन्धित लाभांशियों एवं उनके खातों का पूर्ण विवरण अन्तरित न होने की तिथि से विलम्बतम् 01 माह के अन्दर वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी/नोडल अधिकारी समाज कल्याण निदेशालय 30प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करा देंगे। वित्त नियंत्रक द्वारा उकानुसार प्राप्त समस्त धनराशि एवं लाभांशियों का विवरण लेजर में अंकित कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। छात्रवृति की धनराशि के अन्तरण का विवरण जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लोगिन पर जनपदवार उपलब्ध होगा।

14- छात्रवृति की अवधि व नवीनीकरण-

- (i) कम्पोनेन्ट-1 व 2 के अन्तर्गत छात्रों को कक्षा 9 में दी गयी छात्रवृति कक्षा 10 में भी देय होगी, वर्तमान के छात्र का आचरण अच्छा रहे। यह छात्रवृति कक्षा 10 में नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्त यह है कि छात्र कक्षा 9 से उत्तीर्ण होकर कक्षा 10 में अध्ययनरत हो।
- (ii) यदि छात्र अस्वस्थता अथवा किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा में बैठने में असमर्थ रहता है तो चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा/ अथवा संस्था के प्रमुख की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा उसके द्वारा (संस्था के प्रमुख) यह प्रमाणित करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में बैठता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नवीनीकृत की जायेगी।
- (iii) छात्रवृति अभ्यर्थी की संतोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुर्व्यवहार जैसे- हड़ताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि का दोषी पाया गया है तो छात्रवृति स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृति रद्द कर सकता है अथवा रोक सकता है या ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, तक के लिए आगे का भुगतान रोक सकता है।

15- अनियमितताएं पाये जाने पर कार्यवाही

पूर्वदर्शम् छात्रवृति योजनान्तर्गत छात्रों, शिक्षण संस्थानों, अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विस्तृद्वारा निम्नलिखित अनियमिततायें पाये जाने पर संबंधित छात्रों/शिक्षण संस्थानों के संचालकों/प्रधानाचार्यों/शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों आदि के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जायेगी एवं गबन की गयी धनराशि की वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से करायी जायेगी तथा ऐसे शिक्षण संस्थानों को "काली सूची" में दर्ज कराने व शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की संस्तुति जिलाधिकारियों द्वारा तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

- 1- मास्टर डाटा बैस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सूचना भरकर सम्मिलित होने पर।
- 2- शिक्षण संस्थान/विद्यालय में छात्र/छात्रा के अध्ययनरत न पाये जाने पर।
- 3- शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के किसी अन्य शिक्षण संस्थान/विद्यालय में अध्ययनरत होते हुये भी अपनी संस्था में छात्र की छात्रवृति हेतु आवेदन सत्यापित एवं अव्याप्तिकरण करने पर।
- 4- शिक्षण संस्थान/विद्यालय द्वारा नवीनीकरण हेतु आहे छात्रों में से जिनका आवेदन-पत्र पास नहीं हुआ है, उनका कारण सहित आनलाइन सत्यापन न करने की दशा में।
- 5- छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं, माता-पिता अथवा अभिभावक की वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने पर।

6- छात्र/छात्रा द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति प्राप्त करने पर।

7- छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिलेखों में कूटरचना/हेराफेरी करके छात्र/ शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सत्यापित व अग्रसारित करने पर।

8- जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/शिक्षा विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरचना/हेराफेरी कर छात्रों की बढ़ी हुई संख्या दर्शा कर छात्रवृत्ति की धनराशि ऐसे छात्रों/ व्यक्तियों के बैंक खातों में अन्तरित कराने अथवा अन्तरित कराने का प्रयास करने पर।

9-जिला मजिस्ट्रेट/निदेशालय/शासन के द्वारा जांच में गंभीर अनियमिततायें पाये जाने पर।

16- छात्र/छात्राओं के उत्तरदायित्व-

सामान्य जानकारी हासिल करना-

(i) कम्पोनेन्ट-1 व 2 के अन्तर्गत कक्षा 9 के छात्रों को नया आवेदन पत्र एवं कक्षा 10 के छात्रों को नवीनीकरण का आवेदन पत्र भरना होगा। कक्षा 10 में नये प्रवेश लेने वाले छात्रों को नया आवेदन पत्र भरना होगा।
(ii) छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 भेजने सम्बन्धी विवरण को निदेशक, समाज कल्याण द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा।

17- शिक्षक संस्थानों के उत्तरदायित्व-

(i) शिक्षण संस्था को छात्रवृत्ति हेतु सभी विभागों के लिये एक नोडल अधिकारी नामित करना होगा।

(ii) शिक्षण संस्था को नोडल अधिकारी से सम्बन्धित एवं शिक्षण संस्थान का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर अपडेट करना होगा।

(iii) शिक्षण संस्था को वेबसाइट पर मास्टर डाटा में मान्यता सम्बन्धी विवरण को अपडेट कराना होगा।

(iv) 1- शिक्षण संस्था को जिला समाज कल्याण अधिकारी से लागिन आईडी0 एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।

2- शिक्षण संस्था में नोडल अधिकारी/ प्रधानाचार्य के बदलाव होने की स्थिति में जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर रिसेट/ सत्यापित कराया जाना।

(v) पात्र छात्र/छात्रा के द्वारा आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट समस्त आवश्यक संलग्नकों के साथ जमा किया गया है। संस्थान केवल उक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट की फोटोकापी आवश्यक संलग्नकों के साथ स्वीकार करेगा। संस्थान अन्य किसी प्रपत्र पर आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। संस्थान छात्र/छात्रा के ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों का मिलान अनिवार्य रूप से कर लेंगे।

(vi) अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र आनलाइन प्रेषित करने के बाद समय-सारिणी में निर्धारित समयावधि के अन्दर संस्थान में आनलाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट जमा किया जायेगा।

(vii) आनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर ही अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र संस्थान में जमा करना होगा। तत्पश्चात निर्धारित समयावधि के अन्दर ही प्रत्येक दशा में शिक्षण संस्थान को अभ्यर्थियों का डाटा सत्यापित करना होगा।

(viii) अभ्यर्थियों के ऑनलाइन भरे गये फार्म की प्रविष्टियों का मिलान करने के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन कर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से शिक्षण संस्था के प्राचार्य/प्रधानाचार्य अथवा नोडल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों को अग्रसारित करेंगे। जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत होगा, उनका डाटा संस्थान द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा, उसको अपने स्तर से Reject कर देंगे। शिक्षण संस्थान द्वारा पात्र छात्र/ छात्राओं का डाटा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने के बाद आनलाइन सत्यापित विवरण की हार्डकापी, छात्रों द्वारा जमा आनलाइन फीडें आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट समस्त संलग्नकों सहित, सत्यापन प्रमाण पत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध

कराना होगा।

(ix) सभी छात्रों को योजना के प्राविधानों एवं शासन द्वारा फार्म भरने हेतु नियत की गयी अंतिम तिथि की जानकारी संस्थान द्वारा दी जायेगी। सभी कक्षाओं में उपलब्ध संचार माध्यमों यथा- Public Address System, Faculty Members द्वारा एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये हैंडबिल के माध्यम से अवगत करेंगे। योजना की सम्पूर्ण जानकारी, सभी आदेश- निर्देश वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर उपलब्ध हैं। इसकी भी जानकारी सभी छात्रों को देंगे। छात्र/छात्रा को आनलाइन आवेदन करने की सुविधा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित शैक्षिक संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(x) नवीनीकरण हेतु अहं छात्रों, जिनका आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, के आवेदन न करने के कारणों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन शिक्षण संस्था के नोडल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किया जायेगा।

18- जिला समाज कल्याण अधिकारियों का दायित्व-

(i) शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रेषित सूची तथा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की हार्डकापी को समस्त संलग्नकों सहित प्राप्त करना। यह सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षण संस्थानों का डाटा निर्धारित अवधि के अन्दर उनको प्राप्त हो गया है। शिक्षाधिकारी द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों का विवरण सत्यापित तथा डिजिटली लाक कर दिया गया है। अभ्यर्थी के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र का मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट से रेण्डम आधार पर स्वीकृति से पूर्व कराना। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की हार्डकापी आवश्यकता पड़ने पर संलग्नकों सहित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करना। सक्षम एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर (Digital Signature) प्राप्त कर अभ्यर्थियों के डाटा को आनलाइन सत्यापित एवं लाक करना।

(ii) शिक्षाधिकारी द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों का विवरण सत्यापित तथा डिजिटली लाक कर दिया गया है।

(iii) अभ्यर्थी के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र का मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट से रेण्डम आधार पर स्वीकृति से पूर्व कराना।

(iv) अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की हार्डकापी आवश्यकता पड़ने पर संलग्नकों सहित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

(v) सक्षम एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर (Digital Signature) प्राप्त कर अभ्यर्थियों के डाटा को आनलाइन सत्यापित एवं लाक करना।

(vi) आनलाइन डाटा फ़िडिंग की मानीटरिंग हेतु आयुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षाधिकारी तथा शिक्षण संस्थाओं के साथ मासिक बैठक कराते रहना। यदि किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि तक डाटा का अग्रसारण नहीं प्राप्त हो रहा है अथवा उसके द्वारा छात्रों के आवेदन पत्रों की हार्ड कापी नहीं उपलब्ध करायी जा रही है तो उक्त संस्थान के प्राचार्य/ प्रधानाचार्यों की बैठक में बुलाकर सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(vii) छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत कराना एवं कार्यवृत्त तैयार कर जारी कराना तथा छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड कराना तथा निदेशक, समाज कल्याण को प्रेषित करना। निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध जिलाधिकारी के माध्यम से कठोर कार्यवाही कराने का उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का ही होगा। जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत करायी जायेगी।

(viii) बैंक खाते में धनराशि के अन्तरण का Reconciliation कराना। यह कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाय।

(ix) जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत

करना।

(x) उक्त समिति के बैठक का कार्यवृत्त भेजने का उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।

19- जनपदीय शिक्षा अधिकारियों का उत्तरदायित्व:-

(i) आनलाइन डाटा अग्रसारण की मानीटरिंग हेतु जनपद में आयोजित बैठकों में शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य/प्रधानाचार्य के साथ उपस्थित रहकर कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराना। शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति करना।

(ii) शिक्षा अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थानों की मान्यता, वैधता तिथि, वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या एवं उसके सापेक्ष संस्था स्तर से अग्रसारित छात्र/छात्राओं की संख्या आदि का सत्यापन कर डिजिटल सिग्नेचर से लाक किया जाना। विद्यालय से सभी वर्गों के अग्रसारित आवेदन पत्रों की कुल संख्या का मिलान सम्बन्धित कक्षाओं में स्वीकृत सीटों की संख्या से करना तथा सीट से अधिक अग्रसारित आवेदनों को ब्लाक करना।

(iii) शिक्षण संस्था द्वारा स्कॉलरशिप पोर्टल पर सत्यापित किये गये छात्रों का माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा छात्रों अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

20- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) का उत्तरदायित्व:-

शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं प्रक्रिया के अनुसार आनलाइन साफ्टवेयर तैयार कराना। शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को लागिन आईडीO एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने का ऑप्शन प्रदान करना। जिला समाज कल्याण अधिकारियों एवं जनपदीय शिक्षा अधिकारियों को लागिन आईडीO, पासवर्ड एन0आई0सीO के माध्यम से उपलब्ध करवाना। आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के 15 दिनों के अंदर नवीनीकरण हेतु अहं छात्रों के सापेक्ष मिसिंग छात्रों की जानकारी छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन प्रकाशित करना। राज्य स्तर पर स्कूटनी में निदेशक, समाज कल्याण विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करना। आनलाइन आवेदन भरने से लेकर धनराशि अन्तरण तक में आने वाली समस्त तकनीकी समस्याओं का निराकरण कराया जायेगा।

21- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के उत्तरदायित्व:-

(i) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर आवश्यक जांचोपरान्त अनुमोदन प्रदान करना। छात्रवृत्ति की स्वीकृति/अनुमोदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में अंकित विवरण का रेण्डम आधार पर वेबसाइट पर प्रदर्शित डाटा से मिलान करा लेना।

(ii) 1- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से अनुमोदन के उपरान्त पात्र छात्र/छात्राओं के डाटा को आनलाइन जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से लाक किये जाने के उपरांत राज्य एन0आई0सीO द्वारा निर्धारित तिथि तक मांग सृजित की जायेगी।

2- राज्य स्तर से प्रत्येक छात्र की छात्रवृत्ति की 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि भुगतान होने के उपरांत 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि भुगतान हेतु भारत सरकार को डाटा शेयर किया जायेगा।

(iii) किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी गंभीरता से समयबद्ध जांच कराना तथा जांचोपरांत दोषी व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करना।

22- जनपद स्तर पर अनुश्रवण-

(i) छात्रवृति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती

है:-

1-जिलाधिकारी-	अध्यक्ष
2- जनपदीय छात्रवृति स्वीकृति	सदस्य
समिति के उपाध्यक्ष -	
3- जनपद में स्थित राजकीय	सदस्य
विद्यालयों के प्रतिनिधि -	सदस्य
4-जिला विद्यालय निरीक्षक-	सदस्य
5-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(NIC)-	सदस्य
6-जिला समाज कल्याण अधिकारी-	सदस्य सचिव

(ii) उक्त समिति छात्रवृति के मास्टर डाटा में संस्थाओं का स्वविवेक से सत्यापन करायेगी तथा कम्पोनेन्ट-1 व 2 के अन्तर्गत आच्छादित कक्षाओं की परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की संख्या एवं परीक्षाफल आदि का सत्यापन करेगी। अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठक तीन माह के निर्धारित अंतराल पर की जायेगी तथा कृत कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र, नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं, ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में छात्रवृति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों की जानकारी एन0आई0सी0 जिलाधिकारी उस जायेगा। सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र, जिलाधिकारी को अपील कर सकेगा। जिलाधिकारी उस अपील पर सकारण लिखित आदेश पारित करेगा, जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा।

(iv) छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृति की धनराशि के अन्तरण उपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिलाधिकारी द्वारा कम से कम 05 प्रतिशत छात्र/छात्राओं में धनराशि वितरण का भौतिक सत्यापन/जांच सुनिश्चित कराया जायेगा। छात्र/छात्राओं के रेण्डमली चयन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई द्वारा छात्रवृति प्रबन्धन प्रणाली साफ्टवेयर में आवश्यक विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके माध्यम से जांच हेतु जिलाधिकारी छात्र/छात्राओं, शिक्षण संस्थानों की सूची रेण्डम विधि से जनरेट करेंगे तथा उक्त सूची में अंकित शिक्षण संस्थानों के छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन करायेंगे और अनियमितता पाये जाने पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही नियमावली के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित करेंगे।

23- संशोधन का अधिकार

इस नियमावली के प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन करने एवं किसी भी कठिनाई के निवारण करने की शक्ति मा0 मुख्यमंत्री जी में निहित है।

24- न्यायालय क्षेत्राधिकार

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्राधिकार मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ होगा।

कृपया तदुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

21/9/23
डा० हरिओम
प्रमुख सचिव।

२१०९२३

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, ३०प्र० शासन।
- 2- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री (स्व०प्र०) समाज कल्याण विभाग, ३०प्र० शासन।
- 3- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग, ३०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग, ३०प्र० शासन।
- 5- महालेखाकार, ३०प्र० इलाहाबाद।
- 6- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, ३०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई-मेल के माध्यम से भेजे तथा समाज कल्याण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
- 7- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ ३०प्र०।
- 8- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, ३०प्र०।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, ३०प्र०।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राज कुमार झा

(राज कुमार झा)
अनु सचिव।